

कार्यालय :- नगर परिषद्, लखीसराय

पत्रांक 343 दिनांक 31/1/2019

प्रेषक:-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, लखीसराय

सेवा में,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शा० स्था० नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना।

विषय:-

नगर परिषद्, लखीसराय के वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लेखाओं पर
आधारित प्रतिवेदन सं० - 260/2016-17 का निराकरण प्रतिवेदन।

प्रसंग:-

सं०-एल०ए०/एस०एस०-1/शा०स्था०नि०/14592/2018, दिनांक - 22.09.16।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में सादर पूर्वक कहना है कि आंकेक्षण प्रतिवेदन
सं० - 260/16-17 (निरीक्षण वर्ष 2014-15/2015-16) में लगाये गये आपत्ति का
निवारण किया गया है जिसका सप्रमाण संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि आपत्ति निराकरण को स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, लखीसराय

ज्ञापांक 343 दिनांक 31/1/19

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार - पटना को सादर
सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, लखीसराय



नगर परिषद्, लखीसराय के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-260 / 2016-17 कार्यालय महालेखाकार (ले० प०)
बिहार स्थानीय लेखा परीक्षा साक्ष्य पटना - का अनुपालन प्रतिवेदन :-

कण्डिका	अनुपालन की स्थिति	मन्तव्य
पारा 2 :-	आपत्ति के आलोक में राशि जमा की गयी है।	साक्ष्य संलग्न है। P-20
पारा 3 :- Non Completion of Water Supply Project Costing 7.59 Crore	वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक - 17.04.1998 वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2938 वि० (2) दिनांक 08.04.2008 एवं पत्रांक 508 वि० 30.07.2009 में निहित अनुदेशों के आलोक में कोषागार लखीसराय से निकासी कर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेन्सी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को चेक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई। योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शेखपुरा/लखीसराय द्वारा किया जाना है।	कार्यपालक अभियन्ता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल लखीसराय के पत्रांक 140, दिनांक-09.03.2016 से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न हैं कण्डिका को शीथिल किया जा सकता है।
पारा 4 :- Blockage of turned for contraction of Nagar Parishad Bhawan Rs. 2.29 Crore	नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा नगर भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है तथा भवन निर्माण का दायित्व डूडा को दिया गया था इसलिए प्राप्त राशि स्थानान्तरित किया गया। जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण विलम्ब हुआ है। वर्तमान में प्रशासनिक भवन हेतु निविदा प्रक्रिया की गई है।	कार्य प्रारंभ होने के पश्चात ही कंडिका का निस्तार संभव है इसे स्थगित रखा जा सकता है।
पारा 5 :- Irregular Purchase of LED Rs. 43.27 Lac	LED Light की प्रक्रिया को पुरी करने के पूर्व विद्युत विभाग के कनीय अभियन्ता से 60 wt LED Light लगाने हेतु Estimate Cost का विवरण प्राप्त किया गया उसी के आलोक में वित्तीय विड का निर्णय हुआ है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अलग की संचिका में रखा गया है। अगली अंकेक्षण दल को दिखाया जायेगा। (एक प्रति इसके साथ संलग्न है। सभी वार्ड में 10 प्रति 60 Watt LED लगाया है जिसका प्रमाण की प्रति संलग्न हैं विपत्र की कुल मूल्य के 5% की राशि एकरारनामा के अनुसार सुरक्षित जमा के रूप में 265000 रखी गई है। इनके द्वारा प्रस्तुत सुरक्षित जमा की राशि मो० - 25000 रूपये नगर परिषद के खाता में डाला गया हैं स्टोक रजिस्टर अगामी आंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।	कंडिका को निरस्त किया जा सकता है।
पारा 6 :- Irregular Purchase of Sodium Light Rs. 20.68 Lac	सोडियम भेपर लाईट की तकनिकि एवं वित्तिय विड सभापति की उपस्थिति में खोला गया। सभापति के निदेशानुसार EXCEL के द्वारा दर वार्ता की गई है। वार्ता के क्रम में न्यूनतम दर - 6788 रूपये फिटिंग चार्ज के आपूर्ति हेतु सहमति के उपरान्त दिनांक - 01.09.2014 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है। (बैठक की छाया प्रति संलग्न हैं) कुल - 287 सोडियम लाईट लगाया गया साक्ष्य प्रस्तुत है।	साक्ष्य संलग्न है।
पारा 7 :- Non Deduction of Compensation Amount Rs. 17.87 Lakh	नगर परिषद्, लखीसराय में भूमि दलदली एवं अन्य विवाद रहने के कारण योजना में विलम्ब स्वभाविक है। संवेदकों से ससमय कार्य हेतु सुचित किया जा रहा है।	कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।

पारा 8 :- Excess Payment of Less Deduction of Royalty 5.19	जानकारी के अभाव में रॉयल्टी की वसूली कम की गयी है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा।	
पारा 9 :-	अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जायेगा।	
पारा 9 B :-	अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जायेगा।	
पारा 10 :-	भूमि विवाद के कारण योजना में विलम्ब हुआ है। तथा जानकारी के अभाव में रॉयल्टी की कम कटौती की गयी है।	
पारा 11 :-	इस कण्डिका में दुकान किराया को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है। जो अभितक लंबित है।	इस कण्डिका को निरस्त किया जा सकता है।
पारा 12 :-	प्रश्नगत योजना की जमीन पर नाली निर्माण होना था जो दलदली एवं कीचड़ युक्त होने के कारण बिलम्ब हुआ कार्य जनहित में रहने के कारण बिलम्ब को स्वीकार किया जाय।	
पारा 13 A :-	सूद की राशि के लगातार वृद्धि के कारण नगर परिषद के मांग की राशि में बढ़ोत्तरी हुई है परन्तु सरकार के द्वारा वर्ष 2012-13 तक के सूद माफी होने के कारण मो0 - 350.04 लाख रुपये वास्तविक मांग नहीं रह गई है। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के वर्तमान भाग वसूली से स्पष्ट हुआ जा सकता है।	कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।
पारा 13 B:-	टॉवर से वसूली की जाती है। अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जायेगा।	
पारा 14 :-	संवेदक से वसूली हेतु नोटिश निर्गत किया गया है। अगले अंकेक्षण दल को अवगत करा दिया जायेगा।	
पारा 15 :-	यह प्रक्रिया पूर्व से ही नहीं अपनाई गई थी जिसके कारण Labour Cess की वसूली नहीं की जा रही है। वर्तमान में Labour Cess की वसूली की जा रही है।	कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।
पारा 16 :-	संबंधित विभाग मो0 75000 रुपये S.B.I चेक संख्या 945361 दिनांक - 06.03.2017 के द्वारा पूर्व निर्गत चेक के स्थान पर प्राप्त किया गया है तथा राशि नगर परिषद कोष में जमा कर लिया गया है। आंकेक्षण दल को दिखा दिया जायेगा।	कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।
पारा 17 :-	नगर परिषद लखीसराय के नाजीर को NR सं0 - 3401 से 3500, 3801 से 3900, 4001 से 4100, 4101 से 4200, एवं 4501 से 4600 की जमा राशि नगर परिषद कोष में जमा किया गया है। अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जायेगा।	साक्ष्य संलग्न है।

नगर कार्यपालक, लखीसराय
 नगर परिषद, लखीसराय
 31-01-19

